5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES
5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES
20 रु. भारत बीस रुपये Rs.20 INDIA TWENTY RUPEES

(129)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. / 2016 निगरानी निग – 3161 – II-16

फुलेल सिंह पुत्र बलिराज सिंह गहरवार
निवासी ग्राम मौरा तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी (म.प्र.)

..... आवेदक

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट द्वारा आज 16-9-16 को प्रस्तुत

विरूद्ध

1. बृजनन्दन सिंह पुत्र नर्वदा सिंह
निवासी ग्राम मौरा तह. रामपुर नैकिन
जिला सीधी
2. म.प्र. शासन

.... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव एडवोकेट 16-9-16 ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर सीधी, जिला सीधी द्वारा प्र.कं. 389/अ–74/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 8.11.2000 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

16/9/16

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, अनावेदक . 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आश्य का आवेदन दिया कि ग्राम मोरा में स्थित भूमि ख.कं. 775/3 रकवा 3.75 एकड का वह भूमिस्वामी है बंदोवस्त सर्वेक्षण के समय राजस्व निरीक्षक ने उसके स्वामित्व की भूमि में से 2.00 एकड रकवा म.प्र. शासन के पक्ष में अंकित कर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी –3161–दो/2016 जिला– सीधी

फुलेल सिंह विरूद्ध बृजनन्दन सिंह व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18/02/2019	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला–सीधी के प्र. क्र. 389/अ–74/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 08–11–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 18/02/2019 सदस्य	